

**भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, देहरादून।**

संख्या: 5866 / उ०ख०/भू०खनि०नि०/वि०निवि०परि०/2023-24,

दिनांक 03 फरवरी, 2024

वित्तीय निविदा का परिणाम

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 977/VII-A-1/2023-24ख/2007, दिनांक 16 जून, 2023 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के अध्याय-4 के नियम-20 (1), (2) एवं (4) में राजस्व नदी तल उपखनिज लॉटों की घोषणा किये जाने, घोषित उपखनिज लॉटों का ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन की कार्यवाही के प्राविधानों के दृष्टिगत निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 4842/उ०ख०ला०/ई०नी०/वि०का०ज्ञ०/भू०खनि०नि०/2023-24, दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 के द्वारा विज्ञापितकरण हेतु प्रदत्त स्वीकृत के क्रम में कार्यालय के निविदा आमंत्रण प्रपत्र संख्या 4895/04_CHAMP/भू०खनि०नि०/ई०नीला०/2023-24, दिनांक 19.12.2023 के द्वारा जनपद चम्पावत की तहसील बाराकोट के ग्राम सुगरखाल, पनार नदी के क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या 02, 273, कुल रकवा 2.841 है० मध्ये 0.756 है० उपखनिज क्षेत्र हेतु प्रति वर्ष उपखनिज की निकासी की मात्रा 34020 टन एवं आधार मूल्य रू० 23,81,400.00 निर्धारित करते हुए, उक्त उपखनिज लॉट को नियमावली के नियम 20(2) के प्रावधानानुसार 05 है० से कम क्षेत्रफल हेतु राज्य के मूल निवासी/निवासियों की समितियों/फर्म/कम्पनियों को 05 वर्ष की अवधि हेतु ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन के लिए तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा में इच्छुक बोलीदाताओं हेतु निर्धारित समय-सारणी के अनुसार ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गयी, जिसके क्रम में तकनीकी निविदा निर्धारित तिथि दिनांक 10.01.2024 (बुधवार) को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष निविदा समिति के द्वारा खोली गयी, जिसमें न्यूनतम 03 अर्ह निविदादाता प्राप्त न होने के कारण निदेशालय के आदेश संख्या 5485/उ०ख०/भू०खनि०नि०/ई-निविदा तकनी०नि०/2023-24, दिनांक 12.01.2024 के द्वारा उक्त लॉट की निविदा की कार्यवाही को निरस्त करते हुए पुनः निविदा आमंत्रण किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी। उक्त लॉट की निविदा आमंत्रण संख्या 5542/04_CHAMP/भू०खनि०नि०/ई०नीला०/2023-24, दिनांक 18 जनवरी, 2024 के द्वारा पुनः ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गयी, जिसके क्रम में तकनीकी निविदा निर्धारित तिथि दिनांक 31.01.2024 (बुधवार) को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष निविदा समिति के द्वारा खोली गयी, जिसका परिणाम दिनांक 01.02.2024 को घोषित किया गया।

निदेशालय के पत्र संख्या 5807/उ०ख०/भू०खनि०नि०/ई-निविदा तकनी०नि०/2023-24, दिनांक 01 फरवरी, 2024 के द्वारा निविदा समिति की संस्तुति के दिनांक 31.01.2024 (बुधवार) के अनुसार जनपद चम्पावत की तहसील बाराकोट के ग्राम सुगरखाल, पनार नदी के क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या 02, 273, कुल रकवा 2.841 है० मध्ये 0.756 है० उपखनिज क्षेत्र की तकनीकी निविदा में निम्न निविदादाताओं को सफल घोषित किया गया:-

क्र०सं०	निविदादाताओं का नाम	तकनीकी निविदा का परिणाम
1	2	3
1	श्री हरीश चन्द्र जोशी	अभिलेख पूर्ण, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2017 के नियम-20(16) के प्राविधानानुसार वित्तीय निविदा में प्रतिभाग करने हेतु सफल घोषित।
2	श्री रुद्राक्ष जोशी	अभिलेख पूर्ण, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2017 के नियम-20(16) के प्राविधानानुसार वित्तीय निविदा में प्रतिभाग करने हेतु सफल घोषित।

ई-निविदा सह ई-नीलामी की तकनीकी निविदा में सफल घोषित निविदाकारों की वित्तीय निविदा दिनांक 02.02.2024 समय पूर्वाह्न 11.00 बजे खोली गयी, जिसका परिणाम निम्नवत् है :-

क्र० सं०	बोलीदाताओं का नाम	वित्तीय निविदा में प्राप्त बोली (घनराशि रू० में)	वित्तीय बोली में प्राप्त उच्चतम बोली के अनुसार H1 एवं H2 परिणाम (रू० में)
1	2	3	4
1.	श्री हरीश चन्द्र जोशी	23,98,410.00	H1
2.	श्री रुद्राक्ष जोशी	23,95,008.00	H2


उपरोक्तानुसार ई-ऑक्शन सॉफ्टवेयर से प्राप्त परिणामों के आधार पर प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं को उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के सुसंगत नियम 25(1) के द्वारा उपरोक्त वर्णित तालिकानुसार प्रतिभागी निविदाकार/बोलीदाताओं को उनके द्वारा दर्ज अंतिम उच्चतम बोली के आधार पर क्रमशः H1, H2 घोषित किया जाता है।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार वित्तीय निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने एवं सफल बोलीदाताओं (H1 से H3 तक) की क्रमवार घोषणा किये जाने के उपरान्त सर्वप्रथम वित्तीय निविदा के सफल बोलीदाताओं में एच-1 बोलीदाता को उनके द्वारा प्रस्तुत उच्चतम बोली की घनराशि का पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य घनराशि (पूर्व

में जमा धरोहर राशि (Earnest Money) के अतिरिक्त धनराशि) प्रतिभूति धनराशि (Security Money) के रूप में 15 कार्यदिवसों में एफ0डी0आर0 के रूप में जमा कराने का अवसर प्रदान किया जायेगा। एच0-1 बोलीदाता द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत यदि उक्त धनराशि जमा नहीं कराई जाती है तो सम्बन्धित की जमा अर्नेस्ट मनी की धनराशि को जब्त करते हुए उनके विरुद्ध नियम-23(2)(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा कोटिक्रम में एच-2 बोलीदाता को एच-1 द्वारा बोली गयी उच्चतम बोली पर खनन पट्टा लिये जाने तथा उच्चतम बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि (पूर्व में जमा धरोहर धनराशि (Earnest Money) की धनराशि के अतिरिक्त अवशेष धनराशि) प्रतिभूति धनराशि (Security Money) के रूप में 15 कार्यदिवसों में एफ0डी0आर0 के रूप में जमा कराने का अवसर प्रदान किया जायेगा। उक्त प्रक्रिया कोटिक्रम में एच-3 तक अपनाई जायेगी। एच-3 द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत उक्तानुसार अनुपालन न किये जाने की दशा में ई-नीलामी की प्रक्रिया को समाप्त घोषित करते हुए पुनः ई-नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार श्री हरीश चन्द्र जोशी पुत्र स्व0 रघुवर दत्त जोशी, निवासी- ग्राम व पो0 ऐंचोली, तहसील व जिला पिथौरागढ़ के H1 बोलीदाता घोषित होने के फलस्वरूप, उनके द्वारा बोली गई उच्चतम बोली रू0 23,98,410.00 (रू0 तेईस लाख अट्ठानवें हजार चार सौ दस मात्र) की धनराशि के सापेक्ष प्रतिभूति धनराशि (Security Money) उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत रू0 5,99,603.00 (रू0 पांच लाख निन्यानवें हजार छः सौ तीन मात्र) आंगणित होती है, नियमावली के उक्त नियम-25(1) में किये गये प्रावधानानुसार H1 बोलीदाता के द्वारा निविदा में प्रतिभाग करने हेतु आधार मूल्य रू0 23,81,400.00 के 25 प्रतिशत के समतुल्य रू0 5,95,350.00 के सापेक्ष इण्डियन ओवरसीज बैंक द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष में निर्गत एफ0डी0आर0 संख्या 0412175, दिनांक 06.01.2024, रू0 5,95,350.00 (रू0 पांच लाख पचानवें हजार तीन सौ पचास मात्र) निदेशालय में जमा की गई है, के अन्तर की धनराशि (रू0 5,99,603.00 - 5,95,350.00 = 4253.00) रू0 4253.00 (रू0 चार हजार दो सौ तिरपन मात्र) 15 कार्यदिवस के अन्तर्गत एफ0डी0आर0 के रूप में जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष बंधक हो, जमा की जायेगी, ताकि नियमावली के नियम 25(2) के प्राविधानानुसार H1 बोलीदाता के पक्ष में प्रश्नगत क्षेत्र का सीमाबन्धन किये जाने, खनन योजना तैयार कराने, पर्यावरणीय अनुमति, एन0बी0डब्लू0एल0 (यदि आवश्यक हों) की अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु आशय पत्र निर्गत किया जा सकें।


अतः H1 बोलीदाता श्री हरीश चन्द्र जोशी पुत्र स्व0 रघुवर दत्त जोशी, निवासी- ग्राम व पो0 ऐंचोली, तहसील व जिला पिथौरागढ़ को निर्देशित किया जाता है कि उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार अवशेष धनराशि रू0 4253.00 (रू0 चार हजार दो सौ तिरपन मात्र) 15 कार्यदिवस के अन्तर्गत एफ0डी0आर0 के रूप में जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष बंधक हो, निदेशालय में जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में नियम 25(1) के प्राविधानानुसार H1 बोलीदाता को असफल बोलीदाता घोषित करते हुए अनुक्रमानुसार एच-2 बोलीदाता को एच-1 बोलीदाता द्वारा बोली गई उच्चतम बोली पर खनन पट्टा लिये जाने हेतु अवसर प्रदान किया जायेगा।


(एस0एल0 पैट्रिक)
निदेशक

संख्या: 5866 / उ0ख0 / मू0खनि0नि0 / वि0निवि0परि0 / 2023-24, तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित :-

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, चम्पावत।
3. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद चम्पावत।
4. एच-1 बोलीदाता श्री हरीश चन्द्र जोशी पुत्र स्व0 रघुवर दत्त जोशी, निवासी- ग्राम व पो0 ऐंचोली, तहसील व जिला पिथौरागढ़।


(एस0एल0 पैट्रिक)
निदेशक